बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का स्मृति-पत्र

1. **संस्था का नाम:** इस संस्था का नाम 'बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन' है।

2. **निर्बंधित कार्यालय :** इस संस्था का निर्बंधित कार्यालय-बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन, कदमकुआँ , पटना-800003 (बिहार) में रहेगा । यदि निर्बंधित कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होता है, तो 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को परिवर्तन की सूचना दे दी जाएगी।

3. **कार्यक्षेत्र:** इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा ।

4. **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य हिन्दी-भाषा एवं साहित्य तथा देवनागरी लिपि का सर्वांगींण विकास और प्रसार करना है।

कार्य:

उपर्युक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायेंगें-
(क) देश-विदेश के समस्त प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का उपयोग।

(ख) हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि को अधिकारिक सुगम, सुबोध एवं सुन्दर बनाने के लिए, उनके अभावों की पूर्ति तथा उनके स्वरूपों का विकास, पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन।

(ग) हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य के निर्माण और प्रकाशन का आयोजन।

(घ) हिन्दी के साहित्यकारों और साहित्यसेवियों को प्रशंसा-पत्र, पदक, पुरस्कार, उपाधि आदि द्वारा सम्मानित तथा प्रोत्साहित करना।

(ड.) बिहार राज्य के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा के व्यवहार का आयोजन।

(च) बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि के व्यवहार और उनमें एक अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी के समावेश के लिए प्रयत्न करना।

(छ) हिन्दी भाषा साहित्य के अध्ययन तथा अनुशीलन की समुचित व्यवस्था सहित शोध एवं प्रशिक्षण आदि के लिए संस्थानों की स्थापना करना।

(ज) हिन्दी की हस्तलिखित और प्राचीन दुर्लभ पोथियों तथा साहित्य सेवियों के स्मृति-चिन्हों की खोज करना और उनकी सुरक्षा के निमित संग्रहालय की स्थापना करना।

(झ) समय-समय पर साहित्य गोष्ठियों तथा विभिन्न विषय सम्बन्धी व्याख्यान मालाओं का आयोजन करना।

(ञ) विभिन्न जिलों में सम्मेलन की शाखाओं के रूप में जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलनों, परिषदों, पुस्तकालयों, विद्यालयों, रंगमंचों एवं नाट्य समितियों तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना करना।

(ट) साहित्यिक नाटकों के अभिनय तथा संगीत, नृत्य, ललित कला आदि के सुविकास के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

(ठ) बिहार की विभिन्न लोकभाषाओं के साहित्य के संकलन, संरक्षण, सम्पादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना

(ड)निर्धन साहित्यकारों के लिये सहायता कोष की स्थापना एवं लाचार बृ¼ साहित्यकारों के लिए बृ¼ाश्रम की स्थापना एवं संचालन। और

(ढ) पूर्वोक्त उद्देश्य की सम्यक सि¼ के लिए इसी प्रकार के अन्यान्य कार्यों का सम्पादन करना।

बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नियमावली

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम **'बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन'** होगा।

2. **परिभाषा**:

क) संस्था/सम्मेलन से अभिप्राय है : 'बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन'

ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।

ग) स्थायी समिति से अभिप्राय है : सम्मेलन की शीर्ष अधिकारिणी समिति

घ) पदाधिकारी से अभिप्राय है : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रबंधमंत्री, साहित्य मंत्री, अर्थ मंत्री आदि

ङ) वर्ष से अभिप्राय है : 1ली अप्रैल से 31 मार्च तक ।

च) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट-21, 1860.

3. **विभाग:**

सम्मेलन के उद्देश्य की सिद्धि के अभिप्राय से पूर्वोक्त कार्यों के लिए सम्मेलन के निम्नलिखित विभाग होंगे-

(क) साहित्य विभाग (ख) पुस्तकालय विभाग (ग) कला विभाग

(घ) अर्थ विभाग (ड.) प्रबन्ध विभाग (च)प्रचार विभाग

(छ) लोक भाषा विभाग

इन विभागों के अतिरिक्त स्थायी समिति आवश्यकतानुसार नये विभागों का भी संघटन कर सकती है।

4. **सदस्य :**

सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित तीन प्रकार के होंगे-

(1) आजीवन सदस्य (2) संरक्षक (3) वरीय संरक्षक ।

5. **आजीवन सदस्य** :

(क) कोई भी वयस्क स्त्री या पुरुष जो सम्मेलन के उद्देयों और नियमों के अनुसार कार्य करना स्वीकार करेंगे, वह एक मुष्टि 1100/- रुपये शुल्क के साथ आवेदन पत्र देकर सम्मेलन के आजीवन सदस्य हो सकेंगे।

(ख) सम्मेलन के सभी भूतपूर्व पदाधिकारी स्वत: सम्मेलन के आजीवन सदस्य होंगे और उन्हें सदस्यता के लिए कोई शुल्क न देना होगा।

(ग) सम्मेलन की स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि किसी भी साहित्य सेवी को उनकी साहित्यिक सेवाओं के सम्मानार्थ सम्मेलन के आजीवन सदस्य के रुप में मनोनीत करें।

6. **संरक्षक**:

सम्मेलन के उद्देश्य तथा कार्य का समर्थन करने वाले कोई भी व्यक्ति सम्मेलन को एक मुष्टि 11000/- रुपये की सहायता देकर सम्मेलन के संरक्षक हो सकते हैं। संरक्षक को आजीवन सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

7. **वरीय संरक्षक:**

सम्मेलन के उद्देश्य तथा कार्य का समर्थन करने वाले कोई भी व्यक्ति सम्मेलन को एक मुष्टि 21000/- रुपये की सहायता देकर सम्मेलन के वरीय संरक्षक हो सकते हैं। वरीय संरक्षक को संरक्षक सदस्य के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

8. **सदस्यता का अंत:**

यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी सम्मेलन के उद्देश्य के प्रतिकूल अथवा सम्मेलन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो सम्मेलन की स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि इस विषय में छानबीन करके उनकी सदस्यता अथवा उनक पदाधिकार का अन्त कर दे। मृत्यु, दिवालिया, पागल, त्याग-पत्र तथा न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

9. **मुख्यालय** :

सम्मेलन का मुख्यालय पटना नगर में होगा।

10. **पदाधिकारी:**

सम्मेलन के कार्यों को सुसंपादित करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे-

(क) **1.** अध्यक्ष **2.** उपाध्यक्ष (अधिकतम सात) जिनमें कम से कम एक मुख्यालय-नगर के निवासी होंगे 3. प्रधानमंत्री **4.** साहित्य मंत्री **5.** पुस्तकालय मंत्री **6.** कला मंत्री **7.** अर्थ मंत्री **8.** प्रबंध मंत्री **9.** प्रचार मंत्री **10.** लोकभाषा मंत्री **11.** संगठन मंत्री

(ख) सम्मेलन के आय-व्यय के विवरण का विधिवत परीक्षण करने के लिए प्रति पाँच वर्ष पर स्थायी समिति अपनी पहली बैठक में एक आय-व्यय परीक्षक की नियुक्ति करेगी।

(ग) सम्मेलन के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए एक निर्वाचनाधिकारी होंगे जो नियमानुसार समय-समय पर सम्मेलन के पदाधिकारियों सदस्यों तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन का आयोजन करेंगे। निर्वाचनाधिकारी की नियुक्ति प्रति पाँच वर्ष पर स्थायी समिति अपनी पहली बैठक में करेगी।

अपने कार्यकाल में आय-व्यय परीक्षक और निर्वाचनाधिकारी सम्मेलन के किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं होंगे।

11. **पदाधिकारियों का निर्वाचन :**

(1) अध्यक्ष का निर्वाचन प्रति पाँच वर्ष पर इस नियमावली में उल्लिखित प्रणाली के अनुसार होगा वे अपने कार्यकाल में आयोजित अधिवेशनों/बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) उपाध्यक्ष, प्रधान मंत्री तथा सभी विभागीय मंत्री प्रति पाँच वर्ष पर स्थायी समिति द्वारा उसकी प्रथम बैठक में चुने जायेंगे। यह बैठक पाँच वर्ष की अवधि के बाद अधिक से अधिक एक मास के अन्दर अवश्य आयोजित की जायेगी।

12. **स्थायी समिति:**

सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्तावों को कार्यान्वित करने तथा सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि के निमित सभी कार्यों का सम्पादन करने के लिए सम्मेलन के प्रतिनिधि स्वरुप एक समिति होगी जो स्थायी समिति कही जायेगी। किसी भी विषय के सम्बन्ध में स्थायी समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और किसी भी दशा में छः मास के अन्दर उस पर पुनः विचार नहीं हो सकेगा।

13. **स्थायी समिति का संघटन:**

स्थायी समिति का संघटन प्रति पाँच वर्ष पर सम्मेलन के पाँच वर्ष की अवधि के पूर्व निम्नलिखित रूप में होगा :-

(क) सम्मेलन के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष

(ख) सम्मेलन के सभी संरक्षक एवं वरीय संरक्षक

(ग) सम्मेलन से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था के एक प्रतिनिधि

(घ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तीन प्रतिनिधि

(ड.) सम्मेलन के आजीवन सदस्यों के प्रतिनिधि जिनकी संख्या कुल सदस्य संख्या के पचीस प्रतिशत के अनुपात से निर्धारित होगी। चार आजीवन सदस्य संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अपने में से एक का नाम प्रस्तावित कर निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे। निर्वाचन अधिकारी प्रस्तावित आजीवन सदस्य को एक कार्यावधि के लिये स्थायी समिति के सदस्य के रुप में अधिसूचित करेंगे। ये प्रस्तावक पुनः किसी अन्य के पक्ष में प्रस्ताव नहीं कर सकेंगे।

(च) बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, मन्दार विद्यापीठ, बौंसी, बिहार अनुशीलन परिषद् (बिहार रिसर्च सोसायटी)पटना, नवनालन्दा महाबिहार, नालंदा और जैन प्राकृत संस्थान वैशाली(मुजफ्फरपुर) के एक-एक प्रतिनिधि।

(छ) बिहार राज्य सरकार तथा पटना नगर निगम के एक-एक प्रतिनिधि।

(ज) बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् के सभापति।

(झ) सभी स्वीकृत भाषा अकादमियों के एक-एक प्रतिनिधि।

ञ)अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे राज्य के सुविख्यात एवं प्रमुख साहित्यकारों को स्थायी समिति के लिए मनोनीत करें जिनकी संख्या अधिक से अधिक ।। (ग्यारह) होगी। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वेतनभोगी कर्मचारी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे।

14. **स्थायी समिति के सदस्यों के कर्त्तव्य और अधिकार:**

स्थायी समिति के सदस्यों के कर्त्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

(क) समिति की बैठकों में सम्मिलित होना तथा प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत विचारणीय विषयों के संबंध में नियमानुसार अपने विचार व्यक्त करना और किसी विषय पर मतभेद होने पर, आवश्यकतानुसार, मतदान में भाग लेना ।

(ख) सम्मेलन के मुखपत्र 'साहित्य' की प्रतियाँ नि:शुल्क प्राप्त करना तथा सम्मेलन के अन्य समूल्य प्रकाशनों की प्रतियाँ आधे मूल्य पर प्राप्त करना ।

(ग) सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में, प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होना ।

(घ) सम्मेलन के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन तथा कार्य-समिति एवं अन्य समितियों के संघटन में भाग लेना ।

(ङ) आवश्यकतानुसार किसी विषय-विशेष को, नियमानुसार, स्थायी समिति में विचारार्थ प्रस्तुत करना और

(च) ऐसे किसी अन्य कार्यों का विधिवत् सम्पादन करना, जो सम्मेलन के उद्देश्य की सिद्धि के लिये आवश्यक हो।

लेकिन, सम्मेलन के निर्वाचनों में वे ही सदस्य भाग ले सकेंगे, जो निर्वाचन की तिथि के एक वर्ष पूर्व से सम्मेलन से संबद्ध हों ।

15. **स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन :-**

(क) सम्मेलन के निर्वाचन-अधिकारी, कार्यसमिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रति पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, प्रतिनिधि-सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था विधिवत् करेंगे ।

(ख) यदि निर्वाचन-अधिकारी निर्धारित समय पर स्थायी समिति का संघटन न कर सकें, तो कार्य-समिति को यह अधिकार होगा कि इसकी व्यवस्था वह स्वयं करें ।

16. **उप-निर्वाचन:**

यदि स्थायी समिति या कार्य-समिति के किसी सदस्य अथवा सम्मेलन के किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो जाय, तो उसकी पूर्ति के लिये उप-निर्वाचन की व्यवस्था उसी प्रकार की जायेगी, जिस प्रकार आरंभिक निर्वाचन हुआ था। उपनिर्वाचन में निर्वाचित पदाधिकारी रिक्त स्थान की कालावधि तक अपने पद पर रहेंगे।

17. **स्थायी समिति की बैठकें:**

(क) स्थायी समिति की बैठक करने का अधिकार, साधारण रीति से, अध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री का होगा और समिति की बैठक, सामान्यत: मुख्यालय में होगी । आवश्यकता पड़ने पर, समिति के 51 सदस्य अध्यक्ष या प्रधानमंत्री को यह लिख सकते हैं कि वे किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए समिति की बैठक बुलायें। ऐसा पत्र प्राप्त होने पर, अध्यक्ष या प्रधान मंत्री को समिति की बैठक अनिवार्यत: बुलानी होगी । अभियाचना-पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक मास के अन्दर यदि अध्यक्ष या प्रधानमंत्री स्थायी समिति की विशेष बैठक न बुलायें, तो अभियाचकों को यह अधिकार होगा कि वे स्वंय बैठक बुलायें । समिति की ऐसी बैठकें सदैव मुख्यालय में ही होगी । ऐसी बैठक में केवल उसी विषय पर विचार होगा, जिसके लिये अभियाचना होगी।

बैठक की सूचना:

(ख) स्थायी समिति की बैठकें कम से कम वर्ष में तीन बार होगी।

स्थायी समिति की बैठक की सूचना सभी सदस्यों के पास कार्यक्रम के साथ निर्धारित तिथि से कम से कम 11 दिन पूर्व भेज दी जायेगी।

1. **कार्य-पूरक संख्या:**

स्थायी समिति की किसी बैठक के लिए पदाधिकारियों के अतिरिक्त कम से कम 51 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

2. **अनुपस्थित सदस्यों के सुझाव:**

अनुपस्थित सदस्यों को यह अधिकार होगा कि किसी भी विचारणीय विषय के संबंध में अपने सुझाव लिखित रूप में भेज दें। ऐसे सुझावों पर स्थायी समिति विचार करेगी।

3. **वार्षिक कार्य विवरण:**

स्थायी समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि सम्मेलन का वार्षिक कार्य-विवरण, आय-व्यय के विवरण तथा आय-व्यय परीक्षक के परीक्षा संबंधी वक्तव्य के सहित सम्मेलन के प्रत्येक वर्षान्त के बाद अधिक से अधिक एक मास के अन्दर विधिवत स्वीकृत कराकर प्रकाशित करा दें।

18. **पदाधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार**:

सम्मेलन के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

1. **अध्यक्ष**:

(क) स्थायी समिति तथा कार्य समिति की बैठकों तथा अधिवेशनों की अध्यक्षता करना।

(ख) नियमानुसार उपस्थित विषयों का निर्णय करना।

(ग) सम्मेलन के कार्यों का निरीक्षण करना।

(घ) आवश्यकतानुसार स्थायी समिति तथा कार्य समिति की बैठक बुलाने की आज्ञा देना और

(ड.) विशेष स्थिति में सम्मेलन के उदेश्य की सिद्धि के लिए कोई भी कार्य करने का आदेश देना ।

2. **उपाध्यक्ष**:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तथा उनके निदेशानुसार उनके सभी कार्यों का सम्पादन करना।

प्रधानमंत्री:

(क) सम्मेलन कार्यालय का संचालन करना।

(ख) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रबंध करना।

(ग) स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत कार्य विवरण तथा आय-व्यय के विवरण को सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित करना।

(घ) नये वर्ष के लिए कार्यक्रम एवं आय-व्यय का प्रारुप तैयार कर स्थायी समिति की प्रथम बैठक में उपस्थित करना।

(ड.) आय-व्यय में निर्धारित व्यय के अतिरिक्त किसी आवश्यक आकस्मिक कार्य के लिए अधिक से अधिक 2500रु0 तक व्यय करना किन्तु इस हेतु घटनोत्तर कार्य समिति की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(च) सम्मेलन के सभी विभागीय मंत्रियों के कार्यों का देखभाल करना और

(छ)सम्मेलन के उद्देश्य की सम्यक सिद्धि तथा उसके कार्यों के सुसम्पादन के लिए आवश्यक उपाय करना।

4. **साहित्य–मंत्री**:

(क) सम्मेलन के साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ख) हिन्दी भाषा साहित्य सम्बन्धी अनुसन्धान एवं अनुशीलन की व्यवस्था करना तथा इसके लिए सम्मेलन के अन्तर्गत संग्रहालय और अनुशीलन प्रतिष्ठान का आयोजन एवं संचालन करना।

(ग) हिन्दी में उत्कृष्ट साहित्य निर्माण का प्रबंध करना तथा सम्मेलन की ओर से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं के प्रणयन, सम्पादन एवं प्रकाशन का आयोजन करना।

(घ) साहित्य समिति की बैठकों का आयोजन करना और उसके निश्चयों को कार्यान्वित करना।

साहित्य समिति का आय–व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थ मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ड.) समयानुसार अपने विभाग का वार्षिक विवरण अध्यक्ष/ प्रधान मंत्री को देना और

(च) साहित्य विभाग के अन्यान्य कार्यों के सुसम्पादन का प्रबंध करना।

5. **पुस्तकालय–मंत्री**:

(क) सम्मेलन पुस्तकालय के सुसंचालन का प्रबंध करना।

(ख) सम्मेलन पुस्तकालय के अन्तर्गत वाचनालय की व्यवस्था करना।

(ग) पुस्तकालय तथा वाचनालय के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का उपाय करना।

(घ) पुस्तकालय समिति की बैठकों का आयोजन करना और उसके निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ड.) अपने विभाग का आय–व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थ मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(च) समयानुसार अपने विभाग का वार्षिक विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना और

(छ) अपने विभाग के सुसंचालन के लिए अन्यान्य कार्य करना

6. **कला मंत्री**:

(क) सम्मेलन के कला संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करना।

(ख) सम्मेलन के कला केन्द्र के सुसंचालन का प्रबंध करना

(ग) कला समिति की बैठकों का आयोजन करना और उसके निश्चयों को कार्यान्वित करना।

(घ) अपने विभाग का वार्षिक आय-व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थ मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ङ.) समयानुसार अपने विभाग का वार्षिक कार्य विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना और

(च) अपने विभागके कार्यों के सुसंपादन के लिए अन्यान्य आवश्यक उपाय करना।

7. **अर्थ मंत्री**:

(क) सम्मेलन के आय-व्यय का पूरा हिसाब रखना और अध्यक्ष/प्रधानमंत्री की सहमति से उसे कार्य समिति तथा स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना।

(ख) आय-व्यय का पूरा प्रबन्ध करना और आय की वृद्धि के लिए उपाय करना।

(ग) सम्मेलन के सभी विभागों के वार्षिक आय-व्ययक का सम्मिलित प्रारुप तैयार कर अध्यक्ष/प्रधानमंत्री के सहमति से कार्य समिति के समक्ष समयानुसार प्रस्तुत करना।

(घ) अर्थ समिति की बैठकों का आयोजन करना तथा उसके निश्चयों को कार्यान्वित करना।

(ङ.) समयानुसार अपने विभाग का वार्षिक कार्य विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना।

(च) स्वीकृत आय-व्ययक के अतिरिक्त नये प्रकार के व्ययकों के लिए कार्य-समिति एवं स्थायी-समिति की स्वीकृति प्राप्त करना।

(ङ.) आय-व्यय परीक्षक द्वारा सम्मेलन के वार्षिक हिसाब की विधिवत जाँच करा कर उसे सम्मेलन के वर्षान्त के बाद दो सप्ताह के अन्दर अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना और

(च) अपने विभाग के कार्यों का सुसम्पादन के लिए अन्यान्य आवश्यक उपाय करना।

8. **प्रबंध मंत्री**:

(क) अध्यक्ष/प्रधानमंत्री की देख-रेख में सम्मेलन कार्यालय का प्रबंध एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(ख) सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के मुद्रण और विक्रय का समुचित आयोजन करना।

(ग) सम्मेलन कार्यालय का वार्षिक आय-व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थ मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना और

(घ) विभिन्न विभागीय मंत्रियों को उनके कार्यों के सम्पादन में यथेष्ट सहयोग प्रदान करना।

(च) अध्यक्ष/प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर सभाकक्ष/सभागार आदि का आरक्षण करना एवं निर्धारित शुल्क आदि का अर्थमंत्री के माध्यम से कोष में जमा कराना।

9. **प्रचार मंत्री**:

(क) बिहार राज्य के सभी भागों में राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी का अधिकाधिक प्रचार करना।

(ख) राज्य की जनता के हृदय में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करने का प्रयत्न करना।

(ग) सम्मेलन के विविध कार्यों से जनता को सुपरिचित कराने का प्रबंध करना।

(घ) जिला सम्मेलन के सुसंघटन का आयोजन करना।

(ड.) सम्मेलन से सम्बद्ध जिला सम्मेलनों तथा संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन्हें सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित करना।

(च) प्रचार समिति की बैठकों का आयोजन करना और उसके निश्चयों को कार्यान्वित करना।

(छ) अपने विभाग का आय-व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ज) समयानुसार अपने विभाग का वार्षिक कार्य विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना और

(झ) अपने विभाग के कार्यों के सुसम्पादन के लिए अन्यान्य आवश्यक उपाय करना।

10. **लोक भाषा मंत्री**:

(क) बिहार प्रदेश की लोकभाषाओं, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका, अँगिका आदि के विकास एवं एतद संबंधी साहित्य के सृजन, अनुशीलन, प्रकाशन और प्रसार के लिये कार्य करना।

(ख) विविध लोक भाषाओं में शोध-कार्य को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्न करना।

(ग) लोक भाषा समिति की बैठकों का आयोजन तथा उसके निश्चयों का अनुपालन करना।

(घ) अपने विभाग का वार्षिक आय-व्ययक समयानुसार तैयार कर अर्थमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ड.) अपने विभाग का वार्षिक कार्य विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को देना और

(च) अपने विभाग के कार्यों के सुसंपादन के लिये अन्यान्य आवश्यक उपाय करना।

11. **संगठन मंत्री:**

क) पूरे प्रदेश में सम्मेलन की विविध शाखाओं/इकाइयों के संगठन तथा संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करना।

ख) जिला संगठनों के क्रियाकलापों का निरीक्षण करना तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन अध्यक्ष/प्रधानमंत्री को अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्तुत करना।

ग) अध्यक्ष की अनुमति तथा निर्देश से अन्यान्य कार्य।

19. सम्मेलन के पदाधिकारी

लगातार अधिकतम दो पूर्ण कार्यकाल तक ही अपने पद पर रहेंगे, किन्तु वे पुनः एक अंतराल के बाद निर्वाचित हो सकते हैं।

20. **समितियाँ** :
स्थायी समिति अपनी प्रथम बैठक में कार्य समिति तथा विभिन्न विभागीय समितियों का संघटन करेगी। इनके अतिरिक्त स्थायी समिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष अभिप्राय से विशेष समिति का संघटन करे।

स्थायी समिति को यह भी अधिकार होगा कि किसी विशेष कार्य के लिए कोई विशेष समिति नियुक्त करे। किसी भी समिति का कार्यकाल सम्मेलन के अन्य पदाधिकारियों के कार्यकाल से अधिक नहीं होगा।

21. **कार्य समिति**:
सम्मेलन के कार्य संचालन को सुगम बनाने के लिए 31 सदस्यों की एक कार्य समिति होगी जिसका संघटन निम्नलिखित प्रकार से होगा–

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सभी विभागीय मंत्री अपने पद के अधिकार से इस समिति के सदस्य होंगे और

(ख) शेष सदस्य प्रति पाँच वर्ष पर स्थायी समिति द्वारा उसकी प्रथम बैठक में निर्वाचित होंगे।

इस समिति की कार्य पूरक संख्या 9 होगी जिनमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त 3 सदस्यों का रहना आवश्यक होगा। साधारणतः इस समिति की बैठक हर महीने में कम से कम एक बार होगी।

22. **कार्य समिति के कर्तव्य** :
कार्य समिति के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे–

(क) स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करना।

(ख) अपनी प्रत्येक बैठक में पिछले कार्यों का सिंहावलोकन करना और आगे होने वाले कार्यों का निर्देश करना।

(ग) प्रत्येक बैठक में पीछे के आय-व्यय को स्वीकार करना।

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदच्युति को स्वीकार करना।

(ङ) सम्मेलन के विभिन्न विभागों के कार्यों के सुसंपादन के लिए आवश्यक उपाय करना।

23. **सम्बद्ध संस्थाएँ** :

(क) सम्मेलन के उद्देश्यकी पूर्ति करने वाली राज्य भर की साहित्यिक संस्थाएँ और राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन से संबद्ध हो सकते हैं। इन संस्थाओं को आवेदन शुल्क के रूप में 100/-(एक सौ) रुपये और वार्षिक शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष 50(पचास) रुपये देने होंगे। संस्थाओं को सम्मेलन के सभी प्रकाशन आधे मूल्य पर प्राप्त होंगे। जिन जिलों में जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नियमानुसार संघटन होगा वे जिला सम्मेलन भी विशिष्ट संस्थाओं के रूप में सम्मेलन के साथ संबद्ध किये जायेंगे।

(ख) सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को आवेदन शुल्क के साथ अपना आवेदन पत्र और कार्य समिति के प्रतिवेदन पर समुचित निर्णय करने का अधिकार कार्य समिति को होगा। सम्बद्ध संस्थाओं को सम्मेलन के वर्षारंभ के दो मास पूर्व अपने पिछले वर्ष का संक्षिप्त कार्य विवरण अध्यक्ष/प्रधानमंत्री के पास भेजना होगा। जो सम्बद्ध संस्था वर्षारंभ के बाद सूचना देने पर भी एक मास के भीतर वार्षिक विवरण के साथ शुल्क नहीं भेज देगी उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी। ऐसी संस्था यदि पुनः सम्बद्ध होना चाहे तो आवेदन शुल्क देकर कार्य समिति की अनुमति से पुनः सम्बद्ध हो सकेगी।

(ग) स्थायी समिति अपनी प्रथम बैठक में तीन सदस्यों की एक जाँच समिति नियुक्त करेगी जो सम्मेलन से सम्बद्ध तथा सम्बद्धता के लिए आवेदन करने वाली सभी संस्थाओं के कार्यों की जाँच कर अपना प्रतिवेदन कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। कार्य समिति को यह अधिकार होगा कि किसी संबद्ध संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर उसकी सम्बद्धता का अन्त कर दे। प्रचार मंत्री इस समिति के संयोजक होंगे।

24. **आय-व्यय** :

सम्मेलन की आय-व्यय की सभी राशियाँ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में सम्मेलन के नाम से खोले गये खाते में नियमित रूप से जमा की जायेगी और व्यय के निमित आवश्यक राशियाँ समय-समय पर सम्मेलन के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा अर्थ मंत्री में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा निकाली जायेगी।

25 **निधि का अंकेक्षण** :

क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रुप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रत्येक वर्ष निधि का अंकेक्षण कराया जायेगा ।

ख) निबंधन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था की निधि का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त अंकेक्षक से करा सकते हैं और इस हेतु अंकेक्षक का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

26. **सम्मेलन का अधिवेशन और स्थानः**

सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन साधारणतः उस स्थान और समय पर होगा जो सम्मेलन के पिछले अधिवेशन में निश्चित किये गये हों। यदि अधिवेशन के समय आवश्यक निश्चय न हो सके तो सम्मेलन की स्थायी समिति अधिवेशन के बाद तीन मास के अन्दर स्वयं निश्चय करेगी। यदि वार्षिक अधिवेशन के अतिरिक्त सम्मेलन के विशेष अधिवेशन की आवश्यकता हो तो स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि वह उसका प्रबन्ध करे। यदि किसी कारण से सम्मेलन के अधिवेशन के स्थान में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो स्थायी समिति को अधिकार होगा कि उसका निर्णय करे। यदि किसी वर्ष किसी विशेष परिस्थिति के कारण स्थायी समिति को सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का प्रबंध स्वयं करना पड़े तो उस वर्ष के लिए स्थायी समिति ही स्वागत समिति समझी जायेगी और उसे अधिकार होगा कि मुख्यालय नगर अथवा किसी अन्य स्थान में सम्मेलन के अधिवेशन का आयोजन करें।

27. **स्वागत समितिः**

प्रत्येक स्थान में जहाँ सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन करने का निश्चय हुआ हो, एक स्वागत समिति विगत वार्षिक अधिवेशन के बाद तीन मास के अन्दर बनाई जायेगी। स्वागत समिति बनाने की सूचना शीध्र ही कार्य समिति को दे देनी होगी।

28. **अधिवेशन का कार्यक्रमः**

सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन सम्बन्धी समस्त कार्यों की व्यवस्था स्वागत समिति करेगी और अधिवेशन का कार्यक्रम कार्य समिति के परामर्श से निर्धारित करेगी।

29. **अध्यक्ष का निर्वाचनः**

अध्यक्ष के निर्वाचन में मत देने का अधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को होगा-

(क) सम्मेलन की स्थायी समिति के सभी के सभी सदस्य और

(ख) सम्मेलन के ऐसे सभी आजीवन सदस्य जो स्थायी समिति के सदस्य न हो।

अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कार्यकाल समाप्त होने के तीन मास पूर्व नये चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत कर दी जायेगी, जिसमें नामांकन, नाम वापसी, मतदान तथा मतगणना की तिथियाँ निर्धारित होगी।

मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर के सदस्यों के लिये डाक से मतदान की भी व्यवस्था की जायेगी, किन्तु मतपत्र प्राप्त हो जाने की अंतिम तिथि मतगणना की तिथि से एक दिन पूर्व तक ही रहेगी। सभी पतपत्रों पर क्रमांक के साथ उसके पीठ पर निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर सहित) भी सुनिश्चित होंगे। मतदान एवं मतगणना के समय सभी उम्मीदवारों के दो-दो प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। चुनाव कार्य में सम्मेलन के किसी अधिकारी अथवा मतदाता का उपयोग नहीं किया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी सम्मेलन के कर्मियों के उपयोग के लिये स्वतंत्र होंगे। नामांकन हेतु किसी भी उम्मीदवार के लिये कम से कम 10 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना अनिवार्य होगा। ये प्रस्तावक -निर्वाचक किसी अन्य उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं हो सकेंगे।

32. **प्रतिनिधिः**

सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों का मनोनयन निम्नलिखित प्रकार से होगा-

(क) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था को अधिक से अधिक पाँच प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा किन्तु जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन दस प्रतिनिधि तक मनोनीत कर सकेगें।

(ख) सम्मेलन की स्थायी समिति के सभी सदस्य तथा सम्मेलन के सभी आजीवन सदस्य प्रतिनिधि होंगे।

(ग) बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, जय प्रकाश विश्वविद्यालय,छपरा, बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय,मधेपुरा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, मन्दार विद्यापीठ, बौंसी, बिहार अनुशीलन परिषद् (बिहार रिसर्च सोसायटी)पटना, नवनालन्दा महाबिहार, नालंदा और जैन प्राकृत संस्थान वैशाली(मुजफ्फरपुर) को पाँच-पाँच प्रतिनिधि तक मनोनीत करने का अधिकार होगा।

33. **प्रतिनिधि शुल्कः**

प्रत्येक प्रतिनिधि को 100 (एक सौ) रुपये शुल्क के रूप में देने होंगे। शुल्क का प्रमाण पत्र दिखलाने पर ही वे अधिवेशन में भाग लेने के अधिकारी होगें। प्रतिनिधियों से शुल्क के रूप में जो धन प्राप्त होगा वह सम्मेलन की स्थायी समिति को मिलेगा।

34. **विषय निर्वाचिनी समितिः**

सम्मेलन के कार्यक्रम और प्रस्तावों के रूप को निश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिवेशन के अवसर पर एक विषय निर्वाचिनी समिति होगी। जिसका संघटन निम्नलिखित प्रणाली से होगा-

(क) कार्य समिति के सभी सदस्य

(ख) स्वागत समिति द्वारा मनोनीत पाँच व्यक्ति और

(ग) उपस्थित प्रतिनिधियों के चतुर्थांश जिनका मनोनयन अध्यक्ष करेंगे।

35. विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन

विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्यान्य संस्थाओं के निमित सम्मेलन के प्रतिनिधि स्वरुप निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ अनिवार्य होगी-

(क) कम से कम तीन वर्ष तक स्थायी समिति की सदस्यता और

(ख) 25 वर्ष की न्यूनतम आयु।

36. **अधिवेशन का कार्यक्रम:**

विषय निर्वाचिनी समिति के निश्चय के अनुसार सम्मेलन के अधिवेशन के समक्ष विचारणीय विषय प्रस्तुत किये जायेंगे और सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि उनपर विचार करेंगे। साधारणत: विषय निर्वाचिनी समिति की स्वीकृति के बाद ही कोई प्रस्ताव सम्मेलन के सामने उपस्थित किया जायेगा। किन्तु विशेष स्थिति में सम्मेलन के अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों के पंचमांश के हस्ताक्षर से सभापति को पूर्व सूचना देने के बाद कोई प्रस्ताव विषय निर्वाचिनी समिति की स्वीकृति के बिना भी सम्मेलन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

37. **सम्मति ग्रहण का क्रम:**

सम्मेलन के अध्यक्ष, स्थायी समिति के सदस्यों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए सम्मेलन के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए पत्र द्वारा भेजी हुई सम्मतियाँ ग्रहण की जायेगीं। अन्य सभी अवसरों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही प्रस्तुत विषयों के संबंध में निर्णय किये जायेंगे। किसी विषय पर मतदान के समय दो पक्षों में बराबर मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष के निर्णायक मत से अंतिम निर्णय किया जायेगा।

38. **विशेष अवस्था में कार्य:**

यदि किसी समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिसका समावेश नियमावली की किसी धारा के अंतर्गत न हो तो स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि अपनी एक विशेष बैठक में उस संबंध में निश्चय कर आवश्यक कार्य करें परन्तु उसकी सूचना सम्मेलन के आगामी अधिवेशन में देनी होगी।

39. **उप नियम:**

स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे उप नियम बनायें जो इन नियमों के प्रतिकूल न हों।

40. **नियमों में परिवर्तनः**

इन नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों को होगा। परिवर्तन के प्रस्ताव करने का अधिकार स्थायी समिति के सदस्यों तथा संबंद्ध संस्थाओं को होगा। उक्त परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलन के अधिवेशन के कम से कम दो मास पूर्व अध्यक्ष/प्रधानमंत्री के पास आ जाने चाहिए। सम्मेलन के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों की तरह नियम परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव भी विषय निर्वाचिनी समिति के द्वारा सम्मेलन के समक्ष उपस्थित करें, किन्तु उनकी स्वीकृति के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों की दो तिहाई का बहुमत अनिवार्य होगा।

41. **विघटन एवं विघटनोंपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था :**

क)संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा-13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर हीं संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग) संस्था के विघटनोंपरांत जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी, बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था को या सरकार को दे दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।